

आगामी सुनवाई तारीख : 27/04/2026

27/04/2026

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा को जरिये विज्ञो खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र नये वाद की अनुमति के साथ जरिये विज्ञो खारिज किया जाता है। पत्रावली कैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

NDV

सहायक न्यायाधीश

राज्य न्यायालय दिल्ली

दिनांक